


शहरी नवीकरण प्राधिकरण घरेलू सम्पत्ति

किरायेदार

अनुग्रह भत्ता /पुन-आवास स्मार्ट टिप्स

किरायेदार के लिए
अधिग्रहण और
हटाने की प्रक्रिया



- 1** स्थिर सर्वेक्षण (FS)
- 2** सरकार की अनुमति
- 3** मालिक ने अधिग्रहण का प्रस्ताव या भूमि की बहाली को स्वीकार किया
- 4** किरायेदार परीक्षण
- 5** अनुग्रह भत्ता अथवा पुनः-आवास
- 6** URA को खाली घर का स्वामित्व देना

सरकारी अनुग्रह भत्ते के 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना के बराबर

- ✓ स्थिर सर्वेक्षण (FS) की तिथि से पहले या बाद में संपत्ति को कब्जे में कर लिया गया
- ✓ वास्तव में इस परियोजना में नहीं रहने वाले
- ✓ वैकल्पिक आवास
- ✓ FS की तिथि से पहले दो साल के भीतर URA से मुआवजे या पुनः-आवास के किसी भी रूप को प्राप्त किया
- ✓ कानूनी हांग कांग निवासी नहीं है या अमान्य HKIC धारक है

यह पत्रक केवल सामान्य संदर्भ के उद्देश्य से जारी किया गया है। अधिग्रहण की शर्तें उस समय के शहरी नवीकरण प्राधिकरण के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के अनुसार होंगी, जब अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया जाता है (अप्रैल 2022 संस्करण)

पूछ-ताछ

Mong Kok Office

9/F, Tower I, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mong Kok, Kowloon
Telephone : 2588 2333
Website : www.ura.org.hk



संपत्ति अधिग्रहण में शहरी नवीकरण प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों से संदर्भित विवरण (औद्योगिक संपत्तियों के अलावा)

